प्रेस नोट दिनांक 19.09.2025

थाना चकिया, जनपद चन्दौली

थाना चकिया व थाना शहाबगंज की संयुक्त टीम द्वारा 04 अन्तर्राज्यीय चोरो को किया गया गिरफ्तार।
राजस्थान व चन्दौली के अलग-अलग स्थानों से चोरी की 10 मोटरसाइकिले (खुली व अधखुली) बरामद।
घटनाओं के सफल अनावरण करने वाली टीम को 20 हजार रूपये का नकद इनाम प्रदान करने की घोषणा की गई

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं आपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर(IPS), अपर पुलिस अधीक्षक सदर, दिगम्बर कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक (आप0), व क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में अर्जुन सिंह थानाध्यक्ष चकिया व अशोक कुमार मिश्र थानाध्यक्ष शहाबगंज को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि सिकन्दरपुर की तरफ से 02 वाहन चोर मोटरसाइकिल से पंचवनिया तिराहे की ओर आ रहे है, जो किसी चोरी को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर दोनो थाने की टीम द्वारा सिकन्दरपुर तिराहे पर चेंकिग के दौरान सामने से आ रहे मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। जिसमें मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। तथा पीछे बैठा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तो की पहचान 1. सचिन पुत्र जोखू बियार निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली के रुप में हुयी। तथा भागने वाले की पहचान छोटेलाल पुत्र दुलारे निवासी पिपरीकला थाना बबुरी जनपद चंदौली का निवासी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से हीरो सुपर स्प्लेंडर UP63Q8700 बरामद किया गया। जिसका नम्बर बदलकर उपयोग में लाया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में 434/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने व छोटेलाल ने मुगलसराय स्टेशन के बाहर बने पार्किंग से 20 दिन पहले चोरी किया था। जिसका नम्बर प्लेट बदल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है,जिसमें तीसरा साथी परवेज मुशर्रफ उर्फ आजाद पुत्र जुम्मन अंसारी निवासी ग्राम भीषमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली है, जो गाड़ी का मैकनिक है जिसका गौडिहार थाना बबुरी में एक गैराज है। जिन गाडियों की चोरी करते है,उनको इसी गैराज में छिपा देते है। हम लोगो ने लगभग दर्जनो मोटरसाइकिल की चोरी की है। जिसमें से कुछ परवेज मुशर्रफ की दुकान पर खड़ी है। तथा कुछ गाडिया एक अन्य सहयोगी विजय कुमार को बेचा है। एक चोरी की मोटरसाइकिल विजय कुमार खुद चलाता है। इसी प्रकार 20 दिन पहले मैने व छोटे लाल ने एक हीरो पैशन प्रो मझगांवा नौगढ़ से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर ग्राम गोड़िहार परवेज मुशर्रफ की दुकान पर दबिश दी गयी जहा पर परवेज मुशर्रफ उर्फ आजाद पुत्र जुम्मन अंसारी निवासी ग्राम भीषमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को गिरफ्तार किया गया।

जिसके गैराज से

एक हीरो पैशन प्रो (UP64X4014) अधखुले हालत

एक काले रंग की स्पेलेण्डर चेचिस नं0-MBLHA10BFFHJ774** (खुले हालत में)

एक सीडी डीलक्स UP67M2707 (पूर्णतः खुली)

एक स्पेलेण्डर प्लस RJ34SM7750 (चालू हालत)

एक होण्डो साइन UP65EQ9253 (चालू हालत)

एक स्पेलेण्डर प्लस UP67Y3316(चालू हालत)

एक लूना XL100 TVS (UP65DD2293) बरामद किया गया।

तत्पश्चात अभियुक्त विजय कुमार पुत्र स्व० हरिचरण निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली की कबाड़ की दुकान पर दबिश देकर उसके घर से एक स्पेलेण्डर UP67R2074 बरामद की गयी। जिसको अभियुक्त विजय कुमार व छोटे लाल ने मुगलसराय के ट्राफिक हास्पिटल से चोरी किया था। दुकान की तलाशी लिये जाने पर एक मोटरसाइकिल का इंजन व होण्डा साइन के पार्टस बरामद हुये।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तो ने बताया कि एक अन्य सहयोगी दीपक कुमार पुत्र दशमी बियार निवासी पिपरीकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली भी हमारा सहयोगी है। अभियुक्त दीपक के घर दबिश दिया गया जहां पर एक स्पेलेण्डर प्लस UP67J5130 बरामद किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 10 दो पहिया मोटरसाइकिल (07 चालू हालत 02 अधखुली व 01 पूर्ण खुली) बरामद किया गया। जिसमें राजस्थान व स्थानीय जिले के भिन्न भिन्न स्थानो से चोरी किये गये गाडियो व गाडियो के कल पूर्जे भी बरामद किये गये है। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना चकिया पर मु.अ.सं. 181/2025 धारा 317 (2)/317 (4)/317(5)/338/336(3)/340 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
थाना चकिया व थाना शहाबगंज की संयुक्त टीम द्वारा कुल 04 अन्तर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरो को गिरफ्तार करते हुये इनके विभिन्न अड्डो से 10 मोटरसाइकिल (07 चालू हालत 02 अधखुली व 01 पूर्ण खुली) बरामद किया गया।

<u>पूछताछ विवरण-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगो का एक संगठित गिरोह है। जिसमे सचिन तथा छोटेलाल राजस्थान व जनपद चन्दौली के भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रो से मोटरसाइकिलो को चोरी करते है तथा चोरी की गयी गाडियो को चोरी करने के तुरन्त बाद से ही सुरक्षित स्थान पाकर या तो दूसरा नंबर प्लेट लगा देते है या नंबर प्लेट हटा देते है तथा उसके बाद उन गाडियो को परवेज मुशर्रफ उर्फ आजाद की गौडिहार स्थित गैराज मे छिपा देते है। वही से गाडियो को कम दामो पर बेच देते है और कोई गाडी बनने के लिए आती है तो इन चोरी किये गये गाडियो के पार्ट्स को खोलकर उनमे लगा दते है तथा जो पार्ट्स गाडियो मे फिट नही हो पाते है या टूट फूट जाते है उन्हे कबाड में बेच देते हैं इस प्रकार जैसे भी बनता है गाडियो को उनकी पहचान छिपाकर या बदलकर बेच देते है या उनके पार्ट्स को इधर उधर खपा देते है। उनसे जितना पैसा मिलता है हम लोग आपस में मिलकर बाट लेते है और शौक व ख्वाहिशे पूरी करते है।

<u>नाम पता अभियुक्त-</u>

1. सचिन पुत्र जोखू बियार निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2. परवेज मुशर्रफ उर्फ आजाद पुत्र जुम्मन अंसारी निवासी ग्राम भीषमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. विजय कुमार पुत्र स्व० हरिचरण निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली
4. दीपक कुमार पुत्र दशमी बियार निवासी पिपरीकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

मु.अ.सं. 181/2025 धारा 317 (2)/317 (4)/317(5)/338/336(3)/340 (2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

मु.अ.सं. 434/2025 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
मु.अ.सं. 461/2025 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
मु.अ.सं. 66/2025 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
मु.अ.सं. 175/2018 थाना सदर जनपद दोसा(राजस्थान)

<u>बरामदगी विवरण-</u>

10 मोटरसाइकिल (07 चालू हालत 02 अधखुली व 01 पूर्ण खुली)

एक हीरो पैशन प्रो (UP64X4014) अधखुले हालत

एक काले रंग की स्पेलेण्डर चेचिस नं0-MBLHA10BFFHJ774** (खुले हालत में)

एक सीडी डीलक्स UP67M2707 (पूर्णतः खुली)

एक स्पेलेण्डर प्लस RJ34SM7750 (चालू हालत)

एक होण्डो साइन UP65EQ9253 (चालू हालत)

एक स्पेलेण्डर प्लस UP67Y3316(चालू हालत)

एक लूना XL100 TVS (UP65DD2293) (चालू हालत)

एक स्पेलेण्डर UP67R2074 (चालू हालत)

एक स्पेलेण्डर प्लस UP67J5130 (चालू हालत)

एक हीरो स्पेलेण्डर UP63Q8700 (चालू हालत)

एक मोटरसाइकिल का इंजन

होण्डा साइन के पार्टस

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह मय हमराह

थानाध्यक्ष शहाबगंज अशोक कुमार मिश्र मय हमराह